letter rcs

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/73 WHS एनिकट /2021–22/23313–33 दि. 19/08/21

आयुक्त,
जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग,
जयपुर।

विषय : जनजति उपयोजना क्षेत्र (अनुसूचित क्षेत्र) अन्तर्गत उदयपुर,बांसवाडा डूंगरपुर, प्रतापगढ जिले में जल संग्रहण संरचनाओं (WHS) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की राशि हस्तान्तरण बाबत्।

प्रसंग : आपके कार्यालय के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश कमांक 1298–1305,1306–13,1314–21 एवं 1322–29 दिनांक 29.07.2021 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पैरा सं. 14/एन पर शासन से अनुमोदन होने एवं निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या 2 में वर्णित संलग्न प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के कम में स्वीकृत राशि अनुसार संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित करने की स्वीकृति जारी की जाती है।

(राशि लाखो में)

क.सं.	जिला	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश कमांक	स्वीकृत कार्यो की सं.	स्वीकृत राशि	प्रथम किश्त देय राशि	राशि जिसे हस्तान्तरित की जानी है	राशि जहा जमा होनी है स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता सं.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	उदयपुर	एफ 20 (291) आजभूस/पीएफसी/2021/1322–29 दिनांक 29.07.2021	20	189.60	151.68	PM&SE WCDC जिला परिषद, उदयपुर	SBI खाता सं. 61135594428 में IFSC Code SBIN0031592
2	बांसवाडा	एफ 20 (291) आजभूस/पीएफसी/2021/1314–21 दिनांक 29.07.2021	25	192.00	153.60	PM&SE WCDC जिला परिषद, बांसवाडा	SBI खाता सं. 61074562878 में IFSC Code SBIN 0031605
3	डूंगरपुर	एफ 20 (291) आजभूस/पीएफसी/2021/1298–1305 दिनांक 29.07.2021	12	92.70	74.16	PM&SE WCDC जिला परिषद, डूंगरपुर	SBI खाता सं. 61153968915 में IFSC Code SBIN0006885

4	प्रतापगढ	एफ 20 (291) आजभूस/ पीएफसी/2021/1306–13 दिनांक 29.07.2021	6	53.95	43.16	PM&SE WCDC जिला परिषद, प्रतापगढ	SBI खाता सं. 61166139519 में IFSC Code SBIN0032075
		योग	**63**	**528.25**	**422.60**		

राशि की व्यवस्था शासन की स्वीकृति सं. 66/2020–21 दिनांक 24.03.2021 में से प्रथम किश्त की राशि कॉलम संख्या–5 अनुसार (80 प्रतिशत) 422.60 लाख रू. देय होगी। शेष राशि कार्य की प्रगति एवं हस्तान्तरित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

कृपया संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों से नियमित मोनेटरिंग कराई जाकर कार्य के उपयोगिता/ पूर्णता प्रमाण–पत्र समायोजित कर प्रेषित करें।

उक्त राशि परियोजना प्रबंधक एवं अधीक्षण अभियंता, वाटर शेड सेल कम डाटा सेंटर, जिला परिषद, उदयपुर,बांसवाडा डूंगरपुर,प्रतापगढ के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खातो में उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होगी।

शर्ते –

1. यदि स्वीकृत कार्य महानरेगा अथवा अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे एवं अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्वि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्वि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर जारी कार्यादेश अनुसार ही कराया जावे एवं किसी भी स्थिति में कार्यादेश से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जावे। **कार्यादेश की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावे।**
4. राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा में सम्पादित किया जावें। **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।**
5. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व geo-tagging कर कार्य स्थल का longitude & latitude अंकित किया जावे तथा फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावें जिन्हें विभागीय वेब–साईड पर अपलोड किया जा सके।
6. उपलब्ध कराई गई राशि की कार्य की प्रगति एवं व्यय अनुसार नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को उपलब्ध करायेगे।

7. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ कार्य के प्रारंभ एवं पूर्ण होने के फोटोग्राफ संलग्न किये जावें एवं बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावें।
8. स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर तकमीने मे कार्य स्थल का longitude & latitude अंकित की जावे।
9. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीया

(प्रज्ञा केवलरमानी)I.A.S.
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/73WHS एनिकट/2021–22/23313-33 दि. 19/08/21

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव,माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर, उदयपुर/बांसवाडा/डूंगरपुर/प्रतापगढ।
5. उपायुक्त,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर /बांसवाडा/डूंगरपुर/प्रतापगढ।
6. परियोजना प्रबंधक एवं अधीक्षण अभियंता वाटर शेड सेल कम डाटा सेंटर जिला परिषद उदयपुर/बांसवाडा/डूंगरपुर/प्रतापगढ को भेजकर लेख है कि कृपया कार्य का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति सं. 66/2020–21 दिनांक 24.03.2021 से प्राप्त राशि रू. 915.67 लाख में से परियोजना प्रबंधक एवं अधीक्षण अभियंता, वाटर शेड सेल कम डाटा सेंटर, जिला परिषद उदयपुर,बांसवाडा,डूंगरपुर, प्रतापगढ के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खातो में निम्नानुसार राशि हस्तांतरित करावें।

letter rcs

जिला	बैंक का नाम	खाता सं.	IFSC Code	राशि (लाख रू.)
उदयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	61135594428	SBIN 0031592	151.68
बांसवाडा	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	61074562878	SBIN 0031605	153.60
डूंगरपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	61153968915	SBIN 0006885	74.16
प्रतापगढ	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	61166139519	SBIN 0032075	43.16
		योग		**422.60**

8. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
9. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
10. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in ,Website www.tad.rajasthan.gov.in